# न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

पीठासीन अधिकारी :– सरिता, आर0ए0एस0

वाद सं0 :: 280/2012

विजय सिंह बनाम जतन कंवर

उपस्थित :– 1. विजय सिंह तंवर,वकील प्रार्थीगण/प्रति0 सं0 1 से 5 की ओर से।
2. भागीरथमल जाखड़, वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से।

## आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

:: निर्णय :: दिनांक : 18.04.2022

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी गण/प्रति0 सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादी ने बिना किसी वाद कारण के प्रति0सं0 1 के खिलाफ दावा पेश किया है, जो वाद कारण के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। प्रति0सं0 1 ने भूमियां पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रेता आनन्द सिंह दत्तक पुत्र ठाकुर अमर सिंह नि0 रानोली से दिनांक 27.12.1975 को उसकी खातेदारी की भूमिया क्रय की है। उक्त कृषि भूमियां कभी भी भंवर सिंह अथवा भंवर सिंह के पूर्वजों की खातेदारी में नहीं रही गलत रूप से पुश्तैनी बताकर दावा बिना किसी वाद कारण के पेश किया है। उक्त कृषि भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ तब से आनन्द सिंह दत्तक पुत्र ठाकुर अमर सिंह की खातेदारी की कृषि भूमियां है तथा वादी ने गलत रूप से बिना वाद कारण के यह दावा पेश किया है, जो कानूनी रूप से वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। प्रति0सं0 1 जतन कंवर पत्नी भंवर सिंह ने अपनी स्वअर्जित भूमि ख0नं0 765 लगायत 774 व 776 वाके ग्राम रानोली को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। बाद खरीद प्रार्थीया ही उक्त भूमियों की काबिज खातेदार काश्तकार रही है। वादी के पूर्वज कभी भी इन भूमियों के खातेदार काश्तकार अथवा उप काश्तकार अथवा कब्जा काश्त कभी नहीं रहा, बिना कब्जे के अभाव में दावा मैन्टेनेबल नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है। वादी को वाद कारण प्रति0सं0 1 के खिलाफ प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रति0सं0 1 खातेदार काश्तकार है तथा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी हुई स्वअर्जित संपदा है। वादी के पूर्वज का संपत्तियों से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमियों का ना तो खातेदार है, ना ही काश्तकार अथवा उप काश्तकार है। इस कारण वादी को यह दावा पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दावा मात्र खातेदार काश्तकार ही पेश कर सकता है। इस कारण वादी का यह दावा इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

वादी/अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में मद सं0 1 अस्वीकार है। अप्रार्थी/वादी को वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत किया गया है। मद सं0 2 अस्वीकार है। वाद के तथ्य साक्ष्य से साबित होगे, जिस पर इस स्टेज पर वाद

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

खारिज नहीं किया जा सकता है। मद सं0 3 अस्वीकार है। दावे में वादी के हित प्रभावी होने के कारण वादी को दावा लाने का पूर्ण अधिकार है। मद सं0 4 कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी को आवेदन पत्र आर्डर 7 रूल 11 जाब्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा आवेदन पत्र एंव जबाव आवेदन पत्र में अकित तथ्यों को ही दोहराया गया।

प्रार्थी/प्रति0सं0 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का सारभूत तथ्यों से प्रतीत है कि ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि पुराने ख0नं0 766,767,768,769,770,771,772,773 गै0मु0आबादी ख0नं0 774, 776,765 कुल किता 11 कुल रकबा 536 है0 अवस्थित है भूमियों को वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की संयुक्त पैतृक संपत्ति बताते हुए वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद पैरा सं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रति0सं0 1 एंव 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन करते हुए वर्णित भूमियों के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से से प्रति0सं0 1 का नाम हजफ कर वादी के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। जबकि प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा मिलान क्षेत्रफल ख0नं0 पुराने 694,695,696,697,698,699 एंव विक्रय पत्र दिनांक 27.12.1975 की फोटो प्रति की अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रति0सं0 1 ने भूमियां पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रेता आनन्द सिंह दत्तक पुत्र ठाकुर अमर सिंह नि0 रानोली से दिनांक 27.12.1975 को उसकी खातेदारी की भूमिया क्रय की है। उक्त कृषि भूमियां कभी भी भंवर सिंह अथवा भंवर सिंह के पूर्वजों की खातेदारी में नहीं रही है। उक्त कृषि भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ तब से आनन्द सिंह दत्तक पुत्र ठाकुर अमर सिंह की खातेदारी की कृषि भूमियां है। प्रति0सं0 1 जतन कंवर पत्नी भंवर सिंह ने अपनी स्वअर्जित भूमि ख0नं0 765 लगायत 774 व 776 वाके ग्राम रानोली को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। बाद खरीद प्रार्थीया ही उक्त भूमियों की काबिज खातेदार काश्तकार रही है। वादी के पूर्वज कभी भी इन भूमियों के खातेदार काश्तकार अथवा उप काश्तकार अथवा कब्जा काश्त कभी नहीं रहा। इस प्रकार से प्रति0सं0 1 खातेदार काश्तकार है तथा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी हुई स्वअर्जित संपदा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी ने बिना किसी वाद कारण के प्रति0सं0 1 के खिलाफ दावा पेश किया है, जो वाद कारण के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। प्रति0सं0 1 ने भूमियां पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रेता आनन्द सिंह दत्तक पुत्र ठाकुर अमर सिंह नि0 रानोली से दिनांक 27.12.1975 को उसकी खातेदारी की भूमिया क्रय की है। उक्त कृषि भूमियां कभी भी भंवर

सहायक कलेक्टर(मु.)सीकर

सिंह अथवा भंवर सिंह के पूर्वजों की खातेदारी में नहीं रही गलत रूप से पुश्तैनी बताकर दावा बिना किसी वाद कारण के पेश किया है। वादी के पूर्वज कभी भी इन भूमियों के खातेदार काश्तकार अथवा उप काश्तकार अथवा कब्जा काश्त कभी नहीं रहा, बिना कब्जे के अभाव में दावा मैन्टेनेबल नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है। वादी को वाद कारण प्रति0सं0 1 के खिलाफ प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रति0सं0 1 खातेदार काश्तकार है तथा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी हुई स्वअर्जित संपदा है। वादी के पूर्वज का संपत्तियों से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमियों का ना तो खातेदार है, ना ही काश्तकार अथवा उप काश्तकार है। इस कारण वादी को यह दावा पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दावा मात्र खातेदार काश्तकार ही पेश कर सकता है। इस कारण वादी का यह वाद इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। इस प्रकार प्रति0सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर